न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/2021

अपीलान्टस् :

1. जफर खां पुत्र लाल खां, उम्र 65 वर्ष,
2. चांद खां उर्फ मोहम्मद खां पुत्र लाल खां, उम्र 71 वर्ष,
3. सकिना बेन पुत्री लाल खां, उम्र 73 वर्ष,
4. खातुन बेन पुत्री लाल खां, उम्र 75 वर्ष,
5. कंचन बेन पुत्री लाल खां, उम्र 42 वर्ष;

तमाम जातियान मुसलमान, निवासीगण जालोर, तहसील एवं जिला जालोर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :

1. श्री विक्रमसिंह विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस्।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

-: निर्णय :-

दिनांक 31/03/2021

अपीलान्टस् की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा दावा संख्या 20/2021 बअनवान जफर खां वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस् ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्टस् ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक दावा बाबत धोषित करने खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रणछोडनगर तहसील व जिला जालोर के वर्तमान खसरा नं. 3041 रकबा 4.42 हैक्टर, किस्म बारानी सोयम, खसरा नं. 3063 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 3064 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 3065 रकबा 7.17 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नं. 3066 रकबा 0.70 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 12.33 हैक्टर की कृषि भूमि वादीगण के दादा रमजान खान के सगे भाई चांद खां पुत्र जीवन खां के नाम से राजस्व रेकर्ड चालू जमाबंदी में कदीमी काल से वर्तमान जमाबंदी तक ईन्द्राज लगातार चला आ रहा है एवं वादीगण के पूर्वजों की वंशावली को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सुदा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया तथा आगे बताया कि वर्तमान जमांबंदी के एकमात्र खातेदार चांद खां पुत्र जीवन खां की गत दिनांक 15.03.1965 को मृत्यु हो गई थी लेकिन चांद खां अविवाहित अवस्था में करीब 22 वर्ष की उम्र में फौत हो गया था। इस कारण उक्त भूमि में चांद खां के सगे भाई (वादीगण के दादा) रमजान खां पुत्र जीवन खां का कानूनन हक बनता है लेकिन वादीगण के दादा रमजान खां के भी मृत्यु हो जाने से उनके एकमात्र पुत्र लाल खां हुए जो कि वादीगण के पिता है लेकिन लाल खां की गत दिनांक 20.08. 1978 को मृत्यु हो जाने के कारण वादग्रस्त भूमि में हम वादीगण संख्या 1 से 5 विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण हमारा प्रथम दृष्टया हक बनता है। आगे बताया कि वादीगण के पूर्वज अधिकतर समय मजदूरी हेतु देशावर रहते थे एवं अनपढ़ एवं बीपीएल परिवार के गरीब लोग थे। इस कारण उनकों फौतगी म्यूटेशन दर्ज करवाने के संबंध में जानकारी भी नहीं थी एवं जानकारी के अभाव में वादीगण के पूर्वजों ने समय-समय पर मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बनाये एवं ना ही पटवारी हल्का को म्यूटेशन भरने हेतु आवेदन दिया। इस आधार पर केवल मात्र उत्तराधिकारी के तौर पर फौतगी म्यूटेशन दर्ज होने की कार्यवाही समय पर नहीं हो सकने के कारण आज भी करीब 50 वर्षो से चांद खां पुत्र जीवन खां का नाम ही राजस्व रेकर्ड चालू जमाबंदी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में लगातार चला आ रहा है। आगे दावें में वर्णित किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का मौके पर आज भी शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त है एवं खसरा नं. 3063 व 3064 में वादीगण की रहवासीय ढाणिया बनी हुई है, जिसमें वादीगण का शान्तिपूर्वक निवास है एवं उक्त भूमि में वादीगण के अलावा किसी अन्य का कोई हक दखल नहीं है। आगे लिखा कि चूंकि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पूर्वज चांद खां की मृत्यु हुए लम्बा समय हो गया है, इस कारण राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी म्यूटेशन भरने की कार्यवाही को आये दिन टालमटोल कर रहे है एवं वादग्रस्त भूमि का रकबा अधिक होने के कारण पटवारी हल्का एवं उनके उच्च कर्मचारी भ्रष्टाचार पूर्वक रवैये के कारण म्यूटेशन की साधारण कार्यवाही होने के बावजूद भी नहीं कर रहे है एवं इस संबंध में वादीगण पिछले करीब 6 महिने से प्रशासन के चक्कर लगाकर परेशान हो गया है लेकिन राजस्व कर्मचारी लम्बा समय होने के कारण बिना किसी न्यायालय आदेश के वादीगण का नाम दर्ज नहीं कर रहे है एवं गत दिनांक 21.01.2021 को रेस्पोडेन्ट तहसीलदार जालोर द्वारा वादीगण को मौखिक निर्देश दिये की चूंकि चांद खां की मृत्यु हुये करीब 55 वर्ष का समय हो गया है एवं मामला सैटलमेन्ट से पूर्व का है इसलिए ऐसा फौतगी म्यूटेशन दर्ज करने का उनके पास अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए वादीगण को उक्त भूमि में बतौर उत्तराधिकारी सक्षम न्यायालय से घोषणा आदेश प्राप्त करने के संबंध में हिदायत दी। इस कारण वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होने से दावा हाजा प्रस्तुत किया गया एवं वादग्रस्त भूमि ग्राम रणछोडनगर जिला जालोर में स्थित होने एवं नियमानुसार न्याय शुल्क पर दावा प्रस्तुत करने के तथ्य वर्णित किये। अन्त में निवेदन किया कि ग्राम रणछोडनगर तहसील व जिला जालोर के वर्तमान खसरा नं. 3041, 3063, 3064, 3065, 3066 में वर्तमान खातेदार चांद खां पुत्र जीवन खां की मृत्यु होने के कारण उनका नाम हटाकर वादीगण विधिक वारीसान होने के कारण उनके नाम की घोषणा की जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर वादीगण-अपीलान्ट्स् द्वारा हस्तगत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर द्वारा पारित निर्णय न्याय के नियमों के विरूद्ध होने एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर आधारित नहीं होने से

प्रथम दृष्टया की काबिलें खारिज है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के वकील उपस्थित होने के बावजूद भी केवल मात्र निर्णय का कोटा पूरा करने के लिए जानबूझ कर अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज करने का आदे"श देकर निर्णय सुनाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होने के आदे"श पारित किये है एवं ऐसा आदे"श अन्तिम आदे"श है एवं इस प्रकार बिना सुनवाई एक तरफा आदेश पारित करने से अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की आ"शा नहीं रही है इस कारण अपीलान्ट्स इस न्यायालय की अपीलीय शक्तियों के अधार पर गुणावगुण पर अपील का अन्तिम निस्तारण करवाना चाहते है एवं आगे अपील में विस्तृत रूप से बताया कि ग्राम रणछोडनगर तहसील व जिला जालोर के वर्तमान खसरा नं. 3041 रकबा 4.42 हैक्टर, किस्म बारानी सोयम, खसरा नं. 3063 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 3064 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 3065 रकबा 7.17 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नं. 3066 रकबा 0.70 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 12.33 हैक्टर की कृषि भूमि अपीलान्ट्स् के दादा रमजान खान के सगे भाई चांद खां पुत्र जीवन खां के नाम से राजस्व रेकर्ड चालू जमाबंदी में कदीमी काल से वर्तमान जमाबंदी तक ईन्द्राज लगातार चला आ रहा है एवं अपीलान्ट्स के पूर्वजों की वं"शावली को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सुदा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया तथा आगे बताया कि वर्तमान जमाबंदी के एकमात्र खातेदार चांद खां पुत्र जीवन खां की गत दिनांक 15.03.1965 को मृत्यु हो गई थी लेकिन चांद खां अविवाहित अवस्था में करीब 22 वर्ष की उम्र में फौत हो गया था। इस कारण उक्त भूमि में चांद खां के सगे भाई (अपीलान्ट्स के दादा) रमजान खां पुत्र जीवन खां का कानूनन हक बनता है लेकिन अपीलान्ट्स के दादा रमजान खां के भी मृत्यु हो जाने से उनके एकमात्र पुत्र लाल खां हुए जो कि अपीलान्ट्स के पिता है लेकिन लाल खां की गत दिनांक 20.08.1978 को मृत्यु हो जाने के कारण वादग्रस्त भूमि में हम अपीलान्ट्स संख्या 1 से 5 विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण हमारा प्रथम दृष्टया हक बनता है। आगे बताया कि अपीलान्ट्स के पूर्वज अधिकतर समय मजदूरी हेतु दे"शावर रहते थे एवं अनपढ़ एवं बीपीएल परिवार के गरीब लोग थे। इस कारण उनकों फौतगी म्यूटे"शन दर्ज करवाने के संबंध में जानकारी भी नहीं थी एवं जानकारी के अभाव में अपीलान्ट्स

राजस्व अपील प्रा... पाली

के पूर्वजों ने समय-समय पर मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बनाये एवं ना ही पटवारी हल्का को म्यूटेशन भरने हेतु आवेदन दिया। इस आधार पर केवल मात्र उत्तराधिकारी के तौर पर फौतगी म्यूटेशन दर्ज होने की कार्यवाही समय पर नहीं हो सकने के कारण आज भी करीब 50 वर्षो से चांद खां पुत्र जीवन खां का नाम ही राजस्व रेकर्ड चालू जमाबंदी में लगातार चला आ रहा है। आगे अपील मीमों में वर्णित किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टस् का मौके पर आज भी शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त है एवं खसरा नं. 3063 व 3064 में अपीलान्ट्स् की रहवासीय ढाणिया बनी हुई है, जिसमें अपीलान्टस का शान्तिपूर्वक निवास है एवं उक्त भूमि में अपीलान्टस के अलावा किसी अन्य का कोई हक दखल नहीं है। आगे लिखा कि चूंकि वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट्स के पूर्वज चांद खां की मृत्यु हुए लम्बा समय हो गया है, इस कारण राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी म्यूटेशन भरने की कार्यवाही को आये दिन टालमटोल कर रहे है एवं वादग्रस्त भूमि का रकबा अधिक होने के कारण पटवारी हल्का एवं उनके उच्च कर्मचारी भ्रष्टाचार पूर्वक रवैये के कारण म्यूटेशन की साधारण कार्यवाही होने के बावजूद भी नहीं कर रहे है एवं इस संबंध में अपीलान्टस पिछले करीब 6 महिने से प्रशासन के चक्कर लगाकर परेशान हो गया है लेकिन राजस्व कर्मचारी लम्बा समय होने के कारण बिना किसी न्यायालय आदेश के अपीलान्टस का नाम दर्ज नहीं कर रहे है। अन्त में निवेदन किया कि अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.03.2021 को अपास्त किया जाकर ग्राम रणछोडनगर तहसील व जिला जालोर के वर्तमान खसरा नं. 3041, 3063, 3064, 3065, 3066 में खातेदार चांद खां पुत्र जीवन खां की मृत्यु हो जाने के कारण उनका नाम हटाकर अपीलान्टस उनके विधिक वारीसान होने के कारण अपीलान्टस संख्या 1 से 5 के नाम की घोषणा की जाकर राजस्व रेकर्ड चालू जमाबंदी में इन्द्राज करने हेतु रेस्पोडेन्ट को आदेश प्रदान करावें एवं अपील के साथ चालू जमाबंदी, सरपंच द्वारा तस्दीक सुदा वंशावली, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां इत्यादि दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

इसके बाद अपील अपीलान्टस द्वारा टाईप सुदा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम रणछोडनगर के वर्तमान खसरा नं. 3041, 3063, 3064, 3065, 3066 की भूमि का अपीलान्टस के दादा का सगा भाई चांद खां पुत्र जीवन खां

वर्तमान में खातेदार के रूप में दर्ज है जबकि चांद खां की गत दिनांक 15.05.1965 को मृत्यु हो चुकी थी, इसका मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार दिनांक 16.08.2010 को जारी किया गया है एवं मृत्यु का स्थान रणछोडनगर बताया गया है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि चांद खां रणछोडनगर (जालोर) का ही मूल निवासी था एवं रणछोडनगर में ही इसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि किसी भी प्रकार से नजूल सम्पति भी नहीं है एवं ना ही नि"क्रान्त घोषित सम्पति है। इसके संबंध में अपीलान्ट्स् के वकील द्वारा जिला अभिलेखागार कार्यालय जालोर (रेकर्ड रूम) से नि"क्रान्त घोषित सम्पति की सूची आवेदन पत्र के जरिये मांगी थी, लेकिन जिला अभिलेखागार कार्यालय द्वारा ऐसी कोई भूमि नि"क्रान्त घोषित होना नहीं होने के संबंध में लिखित सूचना वकील अपीलान्ट्स को दी है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि बहस के साथ प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि में अपीलान्ट्स ही विधिक वारीसान होने के कारण उक्त भूमि उनके नाम जरिये घोषणा दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारिणी है एवं उक्त भूमि को आज दिन तक रेस्पोडेन्ट द्वारा अन्य प्रयोजनार्थ होने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही भी नहीं की गई है एवं ऐसी किसी भी अवैधानिक कार्यवाही करने का रेस्पोडेन्ट को अधिकार प्राप्त भी नहीं है।

इसके बाद रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में वर्तमान खातेदार चांद खां की मृत्यु हुये करीब 55 वर्ष का लम्बा समय हो गया है एवं इस कारण वर्तमान में अपीलान्ट्स् का खातेदारी हक काल बाधित हो गया है एवं मौके पर अपीलान्ट्स् का कब्जा होने के संबंध में भी कोई पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है जो कि पूर्णतयाः विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स की अपील भयंकर काल बाधित होने से खारीज फरमाई जावें।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील मीमों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का भी गहन अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट रूप से साबित है कि वादग्रस्त आराजी का वर्तमान खातेदार चांद खां पुत्र जीवन खां का पिछले करीब 55 वर्षो से लगातार नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है एवं सरपंच द्वारा तस्दीक सुदा वं"ावली एवं अपीलान्ट्स के शपथ पत्र एवं तथ्यों के

राजस्व अपील प्रा... पाली

आधार पर यह तथ्य प्रथम दृष्टया साबित है कि वादग्रस्त आराजी में चांद खां के विधिक वारीसान के रूप में उक्त आराजी में अपीलान्टस का हक कानूनन बनता है। जहां तक विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि में लम्बे समय से चांद खां का नाम दर्ज होने के कारण उक्त भूमि में अपीलान्टस का खातेदारी हक समाप्त हो जाता है यह कथन मानने योग्य नहीं है एवं अपील मीमों के साथ अपीलान्टस् द्वारा वर्तमान खातेदार चांद खां की मृत्यु ग्राम रणछोडनगर (जालोर) में होने के संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय से मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है, ऐसी स्थिति में यह तथ्य दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया साबित है कि चांद खां मूलतः रणछोडनगर (जालोर) का ही निवासी था एवं यही पर उसकी मृत्यु हुई। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि किसी भी प्रकार से निष्क्रान्त अथवा नजूल सम्पति मानना भी मेरी विनम्र राय में अपीलान्टस् के मानवीय हितों के साथ कुठाराधात होगा एवं अपीलान्टस अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के साथ मौके पर अपीलान्टस की रहवासीय परिसर बने होने एवं उसमें निवास कब्जा होने के संबंध में फोटो ग्राफ्स भी प्रस्तुत किये है। इसके अतिरिक्त अलग से कब्जे एवं अपील मीमों के समर्थन में शपथ पत्र भी नोटेरी से तस्दीक सुदा प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टस का कब्जा प्रथम दृष्टया दस्तावेजी सबूतों के आधार पर होना प्रकट हो रहा है, ऐसी स्थिति में अपीलान्टस केवल मात्र गरीब परिवार से होने एवं अनपढ तथा निरक्षर होने के कारण समय पर फौतगी म्यूटेशन की कार्यवाही नहीं करवाने के आधार पर वादग्रस्त भूमि में अपीलान्टस को उनके खातेदारी एवं विधिक वारीसान के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलान्टस न्यायालय हाजा की अपीलीय शक्तियों का उपयोग करते हुए वादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषणा करवाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने के कानूनन अधिकारिणी है। अपील मीमों में दर्शित (21-7-21) शजरा वंशावली अपीलीय निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। राजस्वकर्मीयों द्वारा केवल मात्र पैतृक (Parental) खातेदारी भूमि के (Legal Heirs) जायज वारीसान के नाम केवल मात्र विरासत नामान्तरकरण दर्ज करना था जिसमें कानूनन बडी भारी भूल की है, जिसका भारी नुकसान जायज वारीसान को हुआ है। जो राजस्वकर्मीयों द्वारा नहीं किया गया इसलिए (Khatedari Declaration) खातेदारी उद्घोशणा की गई है, जिसके जायज वारीसान कानूनन हकदार है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अतः अपीलान्टस् की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जालोर के दावा संख्या 20/2021 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 को अपास्त किया जाता है एवं अपीलान्टस को ग्राम रणछोडनगर तहसील व जिला जालोर के वर्तमान खसरा नं. 3041, 3063, 3064, 3065, 3066 की आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है एवं रेस्पोडेन्ट तहसीलदार जालोर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि में चांद खां पुत्र जीवन खां के स्थान पर अपीलान्टस् का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद आव"यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय बसरे इजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
(पाली)
31/03/2021